सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

**अपील संख्याः 131/14** **निर्णय दिनांक 06.07.2018**

1. प्रहलादराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. रामदयाल पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. विजयपाल पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. मोहनी पुत्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. रचना पुत्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. रूखमा पुत्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

**—बनाम—**

1. वेद प्रकाश पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. गंगाराम पुत्र प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. मनोहरी पत्नी श्रवणराम पुत्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल बीदासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. शांति पत्नी मुरलीराम पुत्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल सिने मैजिक के सामने, नीलकण्ड कॉलोनी, बीकानेर।
5. रामप्यारी पत्नी श्री श्रवणराम पुत्री प्रहलादराम जाति जाट निवासी जसरासर तहसील नोखा जिला बीकानेर हाल निवासी रामसर तहसील व जिला बीकानेर।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरुद्व आदेश दिनांक 14—08—2014**
**उपखण्ड अधिकारी, नोखा**

**उपस्थितः—**

1. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र शिमला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ता 4
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**—निर्णय—**

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 14—08—2014 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही मौजा जसरासर तहसील नोखा के खसरा नम्बर 788 तादादी 9.92 हेक्टर व रोही गजसुखदेसर के खसरा नम्बर 816 रकबा 9.62 हेक्टर रकबा अपीलांट का खातेदारी रकबा है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का ट्यूबवैल बनाया हुआ है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि पर कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है

वादगत् भूमि पर अपीलांट द्वारा ट्यूबवैल बनाया हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। वादगत् भूमि अपीलांट की स्वअर्जित खातेदारी भूमि रही है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट्स का वादगत् भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ना ही कोई हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्ट वादगत् भूमि में किसी प्रकार की धोषणा करवाकर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का विधिवत हिस्सा कायम है। अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। अदालत मातहतम द्वारा अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि जहॉ न्यायालय के समक्ष सारभूत प्रश्न ऐसा उत्पन्न हो कि जिसमें इन्क्वाईरी, इन्वेस्टीगेशन और ट्रायल की आवश्यकता हो तो ऐसी परिस्थिति में वादगत् सम्पति की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। अदालत मातहत द्वारा उक्त विवेचना के आधार पर ही वादगत् भूमि के बाबत् जारी अस्थाई

निषेधाज्ञा दिनांक 20—11—2013 को ताफैसला वाद तक कन्फर्म किया गया है। वादगत् भूमि के बाबत् पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत वाद में तय होना है। अदालत मातहत द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा के किसी के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि तहसील नोखा के रोही मौजा जसरासर के खसरा नम्बर 788 तादादी 9.92 हेक्टर व रोही गजसुखदेसर के खसरा नम्बर 816 रकबा 9.62 हेक्टर के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबन्द नहीं किया जा सकता।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा जमाबन्दी सवंत् 2067—2070 क अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि वादगत् भूमि ग्राम जसरासर के खसरा नम्बर 788 की 9.92 हेक्टर भूमि अपीलांट वेदप्रकाश के नाम खातेदारी दर्जशुदा है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् 2066—69 के अवलोकन पर यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि ग्राम गजसुखदेसर के खसरा नम्बर 816 तादादी 9.92 हेक्टर अपीलांट वेदप्रकाश पुत्र शेराराम जाति तर्ड

के नाम से दर्जशुदा है। इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति नहीं होकर अपीलांट् की स्वअर्जित भूमि रही है।

(4) प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती। जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादगत् भूमि पर जन्म से ही हिस्सा निहित होने से वादगत् भूमि पर अपना 1/5 हिस्सा होना बताया गया है।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति नहीं होकर अपीलांट् की स्वअर्जित भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर अदालत मातहत द्वारा कोई गौर किये बिना ही मात्र प्रकरण के निस्तारण के उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्रतीत होता है। अदालत मातहत को चाहिए था कि वे उनके समक्ष जैरकार अपील में दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात् ही विधि सम्मत निर्णय पारित करते। अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स पर अपना कोई विवेचन अंकित नहीं करते हुए मात्र यह अंकित किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनती हैं पर्याप्त नहीं हैं। जबकि दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति नहीं होकर अपीलांट की स्वअर्जित सम्पति रही है।

(6) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। उक्त आदेश से अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोखा का आदेश दिनांक 14—08—2014 निरस्त किया जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 06.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर